न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (शीकर)

[illegible] बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा०पत्र अस्थाई निषे० मु०नं० -13/2024
25.2.25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] मय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/[illegible] में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम [illegible] हेतु दिनांक 24.3.25 को पेश हो।
24.03.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व इससे सम्बन्धित मूल वादपत्र में दिनांक 22.07.2024 को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। मूल वादपत्र व इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थीगण को मूल वादपत्र के निस्तारण तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 281 से 283, 28[illegible] 88 कुल किता 6 कुल रक्बा 4.77 हैक्टर त[illegible] श्रीमाधोपुर के रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखें। [illegible]वली फैसल शुमार [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:18 IST
Reason: SelfAttested